न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सेमारी जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 42/2022

उनवान

1. लालसिंह पिता गुमानसिंह राजपुत, उम्र—वयस्क, निवासी—पण्डेर, तहसील—सेमारी, जिला— सलुम्बर (राज.)

—वादी

बनाम

1. श्री उदयसिंह पिता गुमानसिंह राजपुत, उम्र—वयस्क, निवासी—पण्डेर, तहसील—सेमारी, जिला—सलुम्बर (राज.)
2. मु खुमाण कुंवर बेवा धुतालसिंह राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी—पण्डेर, तहसील—सेमारी, जिला—सलुम्बर, (राज.)
3. श्री मोडसिंह पिता गंगासिंह राजपुत, निवासी—पण्डेर, तहसील—सेमारी, जिला—सलुम्बर, (राज.)
4. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा चावण्ड, तहसील—सराडा, जिला— सलुम्बर, (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेमारी, तहसील सेमारी, जिला—सलुम्बर, (राज़.)

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा पुर्व इन्द्राज दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज.टे.एक्ट एवं 136 राज.लै.रे. एक्ट

—::निर्णयः:—

दिनांकः—29/8/24

उपस्थितिः श्री गजेन्द्र कुमार चौबिसा अधिवक्ता—वादी
प्रतिवादी सं. 1, 5— उपस्थित
प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 अनुपस्थित

वादी ने वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती को पेश कर निवेदन किया कि मौजा पण्डेर, पटवार हल्का—सुरखण्ड का खेडा, तहसील—सेमारी, जिला—सलुम्बर मे निम्न हाल आराजी नम्बर 280, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317. 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 378, 379, 380, 381, 386, 389 393, 581, 599, 600, 601, 604, 607, 610, 611, 614, 616, 617, 621, 646, 684, 686, 1180/380 कुल किता 65 कुल रकबा 9.0400 हे. कृषि भूमि स्थित है। उक्त हाल आराजी नम्बर के साबिक आराजी नम्बर—211, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237 238, 239, 240, 241 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 342, 385, 386, 387, 537 561, 583, 587, 588, 590, 593, 596, 599, 618 कुल किता 44 कुल रक़बा 48 बीघा 15 बिस्वा थे।

उक्त वर्णित आराजीयात कृषि भूमि में वादी का 1/3 वां हिस्सा निहीत है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का 1/3, 1/3 वां हिस्सा निहीत है। इसी हिस्सेनुसार वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर शान्तीपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। यह कि वादी के खानदान का सजरा निम्न प्रकार से है–

गंगासिंह

गुमानसिंह

धुतालसिंह उदयसिंह लालसिंह

मु. खुमाण कुंवर

वाद की कलम संख्या 1 एक मे वर्णित आराजीयात कृषि भूमि वादी की पैतृक भूमि है उक्त आराजीयात कृषि भूमि वादी के पिताजी गुमानसिंह पिता गंगासिंह राजपुत के नाम पर दर्ज थी जो की जमाबन्दी महक्मा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड की संवत् 1981 के खाता संख्या 21 में अंकित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात भूमि का वादी लालसिंह एवं धुतालसिंह, उदयसिंह, के मध्य आपसी भाई बटवाडा कर 1/3, 1/3, 1/3 वां हिस्सा भूमि तीनो भाईयो के हिस्से आई. उसी हिस्सेनुसार आज दिनं तक वादी व प्रतिवादी नम्बर 1, 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी के पिताजी गुमानसिंह पिता गंगासिंह राजपुत के मृत्यु बाद विरासत के आधार पर वाद की कलम संख्या एक मे वर्णित आराजीयात कृषि भूमि धुतालसिंह, उदयसिह, लालसिंह पिता गुमानसिंह राजपुत के नाम पर सही रूप से दर्ज हुई। लेकिन राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2015 से 2018 के खाता संख्या 29 में दर्ज वादी के पिताजी के रूप मे दर्ज नाम गुमानसिंह को राजस्व कर्मचारियो की गलती से गुमानसिंह पर लाइन गुमाते हुये गुमानसिंह के बजाये गंगासिंह दर्ज कर दिया जो कि बिना आधार एवं बिना अधिकार के राजस्व कर्मचारियो ने किया है जो गलत है। अतः वादी के पिता के रूप में दर्ज नाम गंगासिंह के बजाये गुमानसिंह का नाम दर्ज करते हुये वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि में वादी लालसिंह पिता गुमानसिंह राजपुत के रूप में 1/3 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। वाद की कलम संख्या 1 एक में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि वादी की पैतृक भूमि है जिस पर वादी का 1/3 वां हिस्सा निहीत होकर अपने 1/3 वां हिस्से परं वादी अपने पिताजी गुमानसिंह के जीवनकालं से काबिज काश्त होकर शान्तीपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 के खाता संख्या 29 में बहैसियत खातेदार के रूप मे दर्ज है। लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने गौरलापरवाही पूर्वक संवत् 2019 से 2022 के खाता संख्या 29 मे उक्त वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि को कायम करते हुये खातेदारान के रूप मे वादी का नाम हटा दिया है। राजस्व कर्मचारियो को पूर्व के राजस्व इन्द्राज को ही आगे भी इन्द्राज करना होता है, केवल मात्र न्यायालय के निर्णय व डिक्री, पंजिकृत दस्तावेजो के आधार पर ही पूर्व के इन्द्राज में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि से वादी का नाम राजस्व कर्मचारियो ने बिना किसी आधार व अधिकार के मनमुताबिक तरिके से वादी का नाम हटा दिया है जो की गलत है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2034 से 2037 के खाता संख्या 12 मे वादी के नाम के बजाये राजस्व कर्मचारियो ने मोडसिंह पिता गंगासिंह राजपुत का नाम पुनः गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, जिसकी गलती राजस्व कर्मचारियो ने स्वीकारते हुये जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 के खाता संख्या 37 में खातेदार के रूप में दर्ज नाम मोडसिंह पिता गंगासिंह को परिवर्तन करने की नियत से उक्त खाते के कलम संख्या 14, 15, 16 के निचे मोडसिंह के बजाये लालसिंह का दाखला लगाया गया है। परन्तु उक्त संवत् के बाद बने नये जमाबन्दी रोटेशन संवत् मे

उक्त दाखला के अनुरूप वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया है। मोडसिंह पिता गंगासिंह राजपुत नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। न ही उक्त व्यक्ति का उक्त वादग्रस्त आराजीयात भूमि में कोई हक व अधिकार है। अतः राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मोडसिंह पिता गंगासिंह राजपुत का दर्ज नाम हटाया जाकर, वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि के 1/3 वां हिस्से का वादी लालसिंह पिता गुमानसिंह राजपुत के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित होने का हकदार व अधिकारी है। यह कि ICICI बैंक शाखा चावण्ड का नाम हाल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 25 में दर्ज होने से प्रतिवादी नम्बर 4 के रूप में पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 के नाम पर रहन दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर 4 की कोई लेन देन है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 की है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे मोडसिंह पिता गंगासिंह राजपुत का नाम दर्ज होने से उक्त नाम को प्रतिवादी नम्बर 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, जबकी उक्त नाम का कोई व्यक्ति नही है। प्रतिवादी नम्बर 5 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है इसकारण से प्रतिवादी नम्बर 5 के रूप में पक्षकार बनाये गये है। यह कि वादी ने तहसीलदार सेमारी को कई बार निवेदन किया की वादग्रस्त आराजीयात भूमि में से 1/3 वां हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में मोडसिंह पिता गंगासिंह राजपुत का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे। लेकिन तहसीलदार सेमारी द्वारा वादी के निवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की. न ही वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित किया। अन्तिम बार दिनांक 02/01/2017 को वादी ने तहसीलदार सेमारी से निवेदन किया की वादग्रस्त आराजीयात भूमि में से 1/3 वां हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा मोडसिंह पिता गंगासिंह राजपुत का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे इसपर तहसीलदार सेमारी ने वादी को सलाह दी की उक्त दाद आप सक्षम न्यायालय में वाद पेश करके ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिये वादी को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्रि फरमायी जावें–

(क) कि वाद की कलम संख्या 1 एक में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि में से 1/3 वां हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कराया जावे।

(ख) कि वाद की कलम संख्या 1 एक मे वर्णित आराजीयात कृषि भूमि मे दर्ज मोडसिंह पिता गंगासिंह राजपुत का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी से हटाये जाने का आदेश बक्षाया जावे।

(ग) कि हस्ब धारा 209 राज.टे. एक्ट के तहत न्यायालय अन्य कोई दाद जो आवश्यक समझे वादी को दिलाई जावे।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित जिन्होने वादी का स्वीकार करते हुए अपना शपथपत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2, 4 के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी सं. 2, 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 5 पेरोकार सरकार तहसीलदार सेमारी उपस्थित जिन्होने जवाब पेश कर राजस्व रेकार्ड अनुसार वादपत्र स्वीकार करते हुए प्रतिवादी की अधिकारीता से बाहर होना अंकित किया। प्रतिवादी सं. 3 की बाद तामील रिपोर्ट से जाहिर आया की उक्त नाम का कोई व्यक्ति नही है जिसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट तहसीलदार सेमारी के पत्रांक 218 दिनांक 10–03–2022 अनुसार प्रतिवादी सं. 3 मोडसिंह पिता गंगासिंह राजपुत नाम का कोई व्यक्ति ग्राम पण्डेर मे नही होना जाहिर आया।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे गवाह प्रतिवादी नं. 1 स्वयं उदयसिंह पिता गुमान सिंह राजपुत, बहादुरसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत एवं श्रीमती देवी कुंवर पुत्री स्व. धुतालसिंह पत्नी माधुसिंह राजपुत का शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादी नं. 1 ने अपने शपथ पत्र मे अंकित किया कि वादी लालसिंह पिता गुमान सिंह मेरे सगे भाई है तथा प्रतिवादी सं. 3 मोडसिंह पिता गंगा सिह राजपुत नाम का कोई व्यक्ति मौजा पण्डेर मे नही है। राजस्व रेकॉर्ड मे प्रतिवादी सं. 3 मोडसिह पिता गंगासिंह राजपुत के बजाय लालसिंह पिता गुमान सिंह राजपुत दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। गवाह बहादुरसिंह ने अपने शपथ पत्र मे अंकित किया कि धुतालसिंह, उदयसिंह, लालसिंह पिता गुमानसिंह ये तीनो सगे भाई थे। वादी ने अपने वाद के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से प्रदर्श 9 तक पेश किये।

पत्रावली मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस मे अपने वादपत्र में अंकित कथनो को दोहराया एवं राजस्व रेकॉर्ड में अंकित नाम मोडसिंह पिता गंगासिंह राजपुत के स्थान पर लालसिंह पिता गुमानसिंह का शुद्धि कराने का एवं वादी के नाम 1/3 एक बटा तीन हिस्से की घोषणा कराने का निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी नं. 1 ने कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

बहस पर मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबन्दी महक्मा बन्दोबस्त सम्वत् 1981 खाता सं. 21 गुमानसिंह वल्द गंगासिंह राजपुत दर्ज अंकित है। राजस्व जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 खाता सं. 29 मे खातेदार धुतासिंह, उदयसिंह, लालसिंह अंकित है जिसमे पिता गुमानसिंह के नाम पर लाईन गुमाते हुए गंगासिंह का अंकिन किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होना प्रतीत होता है। गवाह उदयसिंह एवं बहादुरसिंह ने अपने कथनो अंकित किया है कि धुतालसिंह, उदयसिंह, लालसिंह पिता गुमानसिंह तीनो सगे भाई है जिससे से स्पष्ट होता है कि वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 के पिता का नाम गंगासिंह न होकर गुमानसिंह था जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड मे गलत हुआ है। तथा उसके बाद की जमाबन्दी संवत् 2019–2022 खाता सं. 29 मे धुतालसिंह, उदयसिंह पिता गंगासिंह दर्ज अंकित है जबकि उक्त जमाबंदी मे पूर्व के की जमाबंदी अनुसार राजस्व 2015 से 2018 के अनुसार खातेदारो के नाम अंकन नही होकर लालसिंह का नाम हटा दिया जाना जाहिर होता है जो की उचित प्रतीत नही होता है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 खाता सं. 12 मे खुमाण कुंवर बेवा धुतासिंह, उदयसिंह, मोडसिंह पिता गंगासिंह दर्ज ई.नं. 100 दर्ज अंकित है जिसके बाद कि जमाबंदी मे उक्त खातेदारो के नाम दोहराये गये है। साक्ष्य मे उपस्थित सभी गवाह ने अपने शपथ पत्र मे मोडसिंह पिता गंगासिंह राजपुत नाम का मौजा पण्डेर मे कोई व्यक्ति नही होना जाहिर किया है जिसकी पुष्ठी तहसीलदार सेमारी की रिपोर्ट से होती है। जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खाता सं. 25 मे खातेदार खुमाण कुंवर बेवा धुतालसिंह, उदयसिंह, मोडसिंह पिता गंगासिंह का नाम दर्ज अंकित है। राजस्व जमाबंदी मे वादग्रस्त आराजीयात की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एक से 2 दो पैतृक भूमि होना एवं संयुक्त खातेदारी की होना प्रकट होता है। पैतृक आराजीयात की भूमि मे वादी अपने हिस्से की घोषणा कराये जाने का एवं राजस्व रेकॉर्ड मे शुद्धि कराये जाने का अधिकारी पाये जाने से न्यायालय वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

—::आदेश::—

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पण्डेर एवं पटवार हल्का सुरखण्ड का खेडा हाल तहसील सेमारी जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 25 आराजी नम्बर 280, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,

314, 315, 316, 317. 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 378, 379, 380, 381, 386, 389 393, 581, 599, 600, 601, 604, 607, 610, 611, 614, 616, 617, 621, 646, 684, 686, 1180/380 कुल किता 65 कुल रकबा 9.0400 हैक्टेयर आराजीयात की कृषि भूमि मे मोड़सिंह पिता गंगासिंह के स्थान पर वादी लालसिंह पिता गुमानसिंह के नाम की शुद्धि कर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

माफिक निर्णय डिक्री कायंम हो। निर्णय की एक प्रति भूमिधारी तहसीलदार सेमारी को भेजी जाति है कि माफिक निर्णय हाल राजस्व रेकार्ड मे शुद्धि कर वादी के 1/3 हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज कर अंकित करे।

निर्णय आज दिनांक 29/8/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सेमारी
जिला सलूम्बर